आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजातों का अध्ययन एवं मनन किया गया। वादी द्वारा अपंजीकृत तबादलानामा दिनांक 31.05.2019 के आधार पर कृषि भूमि का खातेदार घोषित करने का वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिसमें वादी का प्रतिवादीगण सं. 1 से राजीनामा पेश कर तबादलानुसार वाद डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा है। सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 के अनुसार राजीनामा विधिपूर्ण होना आवयक है। प्रकरण में जिस भूमि का वादी द्वारा तबादला चाहा गया है वह दोनों भूमि बैंक के पक्ष में बंधक हैं जिसका प्रथम प्रभार बैंक के पक्ष में बंधक है तथा तबादलानामा अपंजीकृत है। अगर तबादलानामा व राजीनामा के आधार पर विनिमय किया जाता हैं तो बैंक के हित पर प्रभाव पड़ेगा तथा राज्य सरकार को रजिस्ट्रेशन शुल्क, स्टाम्प शुल्क, विनिमय शुल्क की हानि होगी। पक्षकारान का समझौता व तबादलानामा विधिपूर्ण नहीं है। अतः वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पक्षकारान भूमि बंधक मुक्त करवाकर नियमानुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोई करने के लिये स्वतंत्र है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो व दर्ज नम्बर से कम हो। सुरेश राव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.07 17:21:06 IST
Reason: SelfAttested